

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ई-मेल

पत्रांक-प्र07 विविध-16/2015-

/खाद्य,पटना/दिनांक

प्रेषक,

एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर ।

विषय:- जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में आरक्षण के रोस्टर निर्धारण करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा आरक्षण रोस्टर निर्धारण के संबंध में पूर्व सृजित एवं नवसृजित मानकर आरक्षण बिन्दु के बैकलॉग की गणना के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी है । इस संबंध में निदेशानुसार स्पष्ट करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या- 601, दिनांक- 15.02.2007 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश- 2007 के तहत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है ।

अतः उक्त तिथि के उपरान्त पूर्व से सृजित पदों में हुई रिक्ति एवं नये मापदण्ड के नई जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर नवसृजित जन वितरण प्रणाली दुकानों में होने वाले रिक्ति एवं चयनित/नियुक्ति के आधार पर बैकलॉग की गणना कर रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।


ई-मेल

ज्ञापांक: प्र07 विविध-16/2015-

4194

/खाद्य,पटना/दिनांक 26.05.15

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव ।